बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत 494001
BASTAR VISHWAVIDHYALAYA, JAGDALPUR
(DHARMPURA) DIST.- BASTAR (CG INDIA) 494001, PHONE 07782-229037, FAX 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in

कार्यपरिषद
की 22वीं बैठक दिनांक 25.10.2018

- कार्यवाही विवरण
- विषय सूची
- विषय से संबंधित समस्त दस्तावेज सहित

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 2858 / अका. / ब.वि.वि. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 24 / 10 / 2018

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के कार्यपरिषद की 22वीं बैठक दिनांक 25.10.2018 हेतु विषय सूची :–

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के कार्यपरिषद की 21वीं बैठक दिनांक 24.08.2018 को सम्पन्न हुई थी। विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधी आवश्यक निर्णयों हेतु बैठक आहूत की जा रही है। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय लिया जाना है :–

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

विषय क्रमांक –2

दिनांक 13.09.2018 को आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 4 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव – अध्यादेश क्रमांक –05 Conduct of Examination (Remuneration For Exam Work) वर्तमान पारिश्रमिक दर दिनांक 06.01.2012 को विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 19 वीं बैठक में अनुमोदन किया गया था। इन छः वर्षों में प्रदेश के बाहर के अधिकांश विश्वविद्यालय में अकादमिक कार्य के पारिश्रमिक दर में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है। उनके औसत पारिश्रमिक को नवीन पारिश्रमिक दर के रूप में प्रस्तावित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव मान्य किया गया। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों में लागू किया जाये।

उक्त निर्णयानुसार नवीन पारिश्रमिक दर को यथावत लागू करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –3

बस्तर विश्वविद्यालय गठन के पूर्व भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर एवं शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में संचालित विधि पाठ्यक्रम पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध था तथा उक्त

पाठ्यक्रम की मान्यता भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) से प्राप्त थी। वर्ष 2008 में बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में संचालित विधि पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधी कार्यवाही भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) से करने के निर्देश है। उक्त निर्देश के परिपालन में विधि पाठ्यक्रम के संबद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति से शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर का प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में किये गये अनुशंसा को मान्य करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –4

MICS भोपाल द्वारा सत्र 2017–18 में Pre & Post Examination Processing work (OMR/ online) पद्धति से परीक्षा फार्म वार्षिक, पूरक, सेमेस्टर, पूनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना के रिजल्ट प्रोसेसिंग ऑनलाईन नामांकन एवं परीक्षा संबंधी समस्त कार्य किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2018–19 में उक्त कार्य MICS भोपाल के द्वारा निर्धारित पुराने दर में कार्य करने हेतु सहमति पत्र दिनांक 27.09.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी से अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के संलग्न पत्र क्रमांक 2596/ब.वि.वि./2018–19 दिनांक 29.09.2018 के द्वारा MICS भोपाल को एक वर्ष के लिए कार्य के पूर्ण एवं सफल समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार देयक भुगतान करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –5

मुख्य परीक्षा 2017–18 में बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में नकल की प्रवृत्ति रोकने एवं परीक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया था। उड़नदस्ता टीम द्वारा 141 नकल प्रकरण दर्ज किये गये थे। जिसका निराकरण (UFM) समिति के द्वारा किया गया है। समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के संलग्न अधिसूचना क्रमांक 653 दिनांक 19.09.2018 के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –6

राज्य एन.एस.एस. अधिकारी व पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1230/उ.शि./एफ 20–1/2011/38–1 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा दिनांक 12.06.2018 को माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण के एजेण्डा क्रमांक 11 (2) में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों एवं शिविरों के निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा रासेयो के कार्यों हेतु वाहन उपलब्ध कराने तथा निजी वाहन के प्रयोग किये जाने पर ईधन(पेट्रोल/डीजल) व्यय विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें इस कार्य हेतु व्यय भार राष्ट्रीय सेवा योजना को गतिविधियों हेतु आबंटित राशि पर न हो। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –7

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 06.12.2017 को आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक का जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक 264/कार्य.सम./रा.से.यो./2018 जगदलपुर, दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु क्रमांक –09 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर प्रतिभागिता पर स्वयं सेवकों को टी शर्ट एवं टोपी विश्वविद्यालय फण्ड से खरीदने की सहमति दी गई है। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –8

कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. प्रकोष्ठ में वातानुकुलिन (AC) उपलबब्ध कराने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –9

रा.से.यो. प्रकोष्ठ हेतु कम्प्यूटर सिस्टम, इंटरनेट, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –10

पूर्व की तरह रा.से.यो. प्रकोष्ठ के कार्यालयीन कार्य हेतु नोटशीट, लिफाफा, फाईल–फोल्डर, पेड विश्वविद्यालय भण्डार शाखा से प्रदाय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –11

राशि व्यवस्था/उपलब्धता की स्थिति में रा.से.यो. की राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन माह–जनवरी 2019 में प्रस्तावित करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –12

बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7वां वेतनमान) प्रदाय किये जाने के संबंध में।

(अ) संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 241/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 24.मई, 2017 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम, 2017 के अन्तर्गत नियमित वेतन का भुगतान माह जुलाई, 2017 का वेतन (अगस्त, 2017 को देय) प्रारंभ किया जावेगा।

(ब) अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 788/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 05.09.2018 के अनुसार राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.07.2018 से इसका आर्थिक लाभ दिये जाए। अर्थात् दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2018 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से देय होगा। दिनांक 01.07.2018 से पूर्व के एरियर्स के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा। विभाग राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच स्थानीय निधि सम्परीक्षा द्वारा छ. माह की अवधि में अनिवार्य रूप से करवाया जाना है। उक्त पत्र के कंडिका 03 के अनुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2451/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2018 जगदलपुर, दिनांक 18.09.2018 के द्वारा सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 1003/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 06.10.2018 के अनुसार राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून, 2018 की अवधि के बकाया स्वत्तों (वेतन एरियर्स) का 06 समान वार्षिक किश्तों में नगद भुगतान का निर्णय लिया गया है। प्रथम किश्त के रूप में माह जनवरी 2016 से मई 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान वर्ष 2018–19 में किया जाए। शेष किश्तों के भुगतान के संबंध में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाऐगा।

(द) अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2–1/18/38–1 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 26.09.2018 के अनुसार विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपति, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल तथा संचालक/सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा के लिए दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

उक्त शासन के आदेशानुसार वेतनमान एवं एरियर्स प्रदाय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –13

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 10 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें ऐसे आवेदक जो बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में दैनिक/मजदूरी में कार्यरत हैं। उन्हें अंतिम चयन सूची तैयार करते समय कार्य के अनुभव के लिए प्रति पूर्ण वर्ष हेतु 02 अंक, अधिकतम 08 अंक की अधिमान्यता (weightage) दिये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –14

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 358/एल 2018–71–00038/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 27.07.2018 के अनुसार वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 14 मई 2015 के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा भत्ता का चयन किया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –15

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2717/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2018 जगदलपुर, दिनांक 09.10.2018 के अनुसार छ.ग.मेडिकल सर्विसेस प्रा.लि. बस्तर संभाग, हाऊसिंग बोर्ड हाट कचौरा, जगदलपुर को कुलसचिव भवन की वाईटवास, कलरवास, डिस्टेम्परिंग एवं पेन्टिंग का कार्य पूर्व की दर पर करने हेतु सहमति चाही गई है। पूर्व की दर पर कार्य करने की सहमति प्राप्त होने की स्थिति में कार्य कराये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –16

बस्तर विश्वविद्यालय, परिसर में स्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आबंटित आवासीय भवनों के पोताई कराये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –17

दिनांक 13.09.2018 को आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 19 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों) में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया है। उक्त प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –18

दिनांक 13.09.2018 को आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 14 एवं 15 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपु के अध्यादेश क्रमांक 67 (Post Graduate Diploma in Computer Application One year-full Time) एवं अध्यादेश क्रमांक 150 (Master of Science information Technology) को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया है। उक्त प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –19

प्रायः देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये गये आवश्यक बैठकों (अध्ययन मंडल, विद्यापरिषद, कार्यपरिषद, भवन समिति, रिजल्ट कमेटी, क्रय समिति, तथा अन्य समितियों) एवं कार्यक्रमों (दीक्षांत समारोह,स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, सेमीनार, कार्यशाला एवं विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों) में उपस्थित सदस्यों/छात्र–छात्राओं को चाय नास्ता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु व्यय की जाती है। जिसमें नियमों के अभाव में आडिट आपत्ति की जा रही है। जो व्यवहारिक नहीं है बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध ऐसे महाविद्यालयों जो विश्वविद्यालय से लगभग 200 किलो.मीटर पर स्थित है तथा विश्वविद्यालय का अधिकांश कार्य अन्य विश्वविद्यालय के क्षेत्राअधिकार में पदस्थ प्राध्यापकों से कार्य सम्पादित होते है। जिसके लिए चाय,नास्ता,पानी एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाती है इसे दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक बैठकों एवं कार्यक्रमों में उपस्थित सदस्यों को चाय, नास्ता, पानी, स्वल्पाहार एवं अन्य आवश्यक व्यय विभागीय इम्प्रेस्ट तथा अग्रिम लेकर किये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –20

विश्वविद्यालय में विद्युत व्यय मितव्ययिता रखने हेतु क्रेडा, जगदलपुर के माध्यम से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन में सोलर सिस्टम यूनिट से लगाया जाना है। इस हेतु क्रेडा जगदलपुर से विश्वविद्यालय के द्वारा लागत का प्राक्कलन पत्र क्रमांक 2310/ब.वि.वि./2018, जगदलपुर, दिनांक 30.08.2018 के द्वारा आमंत्रित किया गया है, लागत पत्र अप्राप्त है। अतः कार्य की स्वीकृति/सूचना हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –21

परीक्षा/गोपनीय विभाग के मांग अनुसार विश्वविद्यालय के अनुपयोगी उत्तर पुस्तिकाओं तथ रद्दी अनुपयोगी कागजातों हेतु पेपर कटिंग मशीन GeM के माध्यम से Infres Methodex Private Ltd., Raipur से क्रय किया गया है। जिसकी लागत राशि रू. 1,17,585/– (एक लाख, सत्रह हजार, पांच सौ पच्यासी) मात्र है। सामग्री प्राप्त हो गई है, नियमानुसार क्रयोत्तर एवं भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –22

विश्वविद्यालय के एम.बी.ए. छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, समाजकार्य अध्ययनशाला एवं विभिन्न शाखाओं को आलमारी की आवश्यकता है। इस हेतु केन्द्रीय जेल, जगदलपुर को 10 नग स्टील आलमारी Size 78"x33"x19" का क्रयादेश क्रमांक 2731/भण्डार/ब. वि.वि./2018–19, जगदलपुर दिनांक 09.09.2018 प्रेषित किया गया है। सामग्री की कुल लागत राशि रू. 1,01,550/– (एक लाख, एक हजार, पांच सौ पचास) एवं पहुंचाने का भाड़ा राशि रू. 900/– (नौ सौ) मात्र का क्रयोत्तर एवं नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –23

विश्वविद्यालय के उपाधि प्रकोष्ठ के माध्यम से योग्य आवेदकों को उपाधि प्रदाय किया जाता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा निविदा के अन्तर्गत M/s. Offset Printing House, Satna (M.P.) का दर स्वीकृत किया गया था तथा विश्वविद्यालय एवं फर्म के मध्य दिनांक 11.04.2017 को अनुबंध 01 वर्ष के लिए किया गया था। अनुबंध की अवधि 01 वर्ष समाप्त हो गई है। उपाधि प्रारूप तथा उपाधि लिफाफों की पुनः आवश्यकता है। अनुबंध की कंडिका 13 के अनुसार उक्त कार्य अवधि आगामी वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। चूंकि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है तथा निविदा विज्ञापित नहीं किया जा सकता। अतः छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए निविदा अनुबंध 11.04.2018 से 10.04.2019 तक पुनः 01 वर्ष तक दोनो पक्षों की सहमति से बढाई जा सकती है। यह भी कि फर्म के द्वारा विश्वविद्यालय कोष में धरोहर राशि रू. 50000/– (पचास हजार) मात्र जमा किया जाना होगा।

उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –24

बस्तर विश्वविद्यालय का न्यूज लेटर तथा शोध पत्रिका मल्टी डिसिपलिनरी (Multi Disciplinary) का प्रकाशन अर्द्धवार्षिकीय किया जाना है। जिसके प्रिन्टिग कार्य हेतु अनुमानित व्यय न्यूज लेटर के लिए राशि रू. 25000 (अर्द्धवार्षिक) तथा शोध पत्रिका के लिए राशि रू. 50000/–(अर्द्धवार्षिक) व्यय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –25

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत निर्मित विनियम क्रमांक 108 (वित्तीय विनियम) में आवश्यकतानुसार संशोधन करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण में प्रस्तावित प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

01. विनियम 108 के भाग एक के (तीन) में सम्बद्धता शीर्ष (शुल्क) हेतु अलग से शीर्ष (मद) में राशि जमा की जानी चाहिए वर्तमान में यह रकम परीक्षा मद में रखा जा रहा है। अतः पृथक मद रखा जाना प्रस्तावित है।

02. **वित्तीय अधिकार** – विनियम क्रमांक 108 के भाग (3) की कंडिका (1) के अनुसार वित्तीय अधिकार कुलसचिव को राशि रू. 10,000/– वित्तीय स्वीकृति एवं समायोजन का अधिकार है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संशोधन के अनुसार राशि रू. 10,000/– से बढ़ाकर राशि रू. 25,000/– प्रस्तावित है तद्नुसार बस्तर विश्वविद्यालय में भी राशि रू. 10,000/–से बढ़ाकर राशि रू. 25000/– तक स्वीकृति एवं समायोजन की स्वीकृति प्रस्तावित है।

1(a) साथ ही वित्त अधिकारी को राशि रू. 5,000/– तक की स्वीकृति एवं समायोजन का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है। यह व्यवस्था पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में है।

तथा भाग 3 का (1) परन्तु में इम्प्रेस्ट राशि में से व्यय के लिए विभागाध्यक्ष / संबंधित अधिकारी को राशि रू. 250/– तक अधिकार दिया गया है। वर्तमान स्थिति में एक समय में यह व्यय की सीमा 250/– से बढ़ाकर 1500/– तक किया जाना प्रस्तावित है। पं. रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय, रायपुर में वर्ष 2009 में यह रकम 250/– से बढकर 1000/– किया गया है।

भाग 3 का 2 में माननीय कुलपति को वर्तमान में राशि रू. एक लाख तक की वित्तीय स्वीकृति एवं समायोजन का अधिकार है यह स्वीकृति बढ़ाकर राशि रू. 25,001/– से 5,00,000/– तक की व्यय की स्वीकृति एवं समायोजन का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है।

108 भाग 4 क्रय एवं विक्रय नियम में क्रय की प्रक्रिया 3(a) एकल निविदा पद्धति :– ऐसी एकल वस्तु जिसमें प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जावे का क्रय एकल निविदा (भावपत्र) पद्धति या एक फर्म से निविदा प्राप्त कर क्रय किया जावेगा परन्तु ऐसी वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रू. 30,000/– (तीस हजार) से अधिक न हो। यह व्यवस्था पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने स्वीकार कर लिया है। तत्संबंधी प्रस्ताव जोडे जाने हेतु प्रस्तावित है।

कंडिका (4) (3) (2) – सीमित निविदा पद्धति – इसमें निम्न प्रस्ताव जोड़ा जा रहा है :–

साधारणतः ऐसे सभी आदेशों के मामले में जिसमें वार्षिक क्रय राशि 30,001/–(तीस हजार एक) से 1,50,000/– लाख तक हो इसमें निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जावे तो एक भारी रकम विज्ञापन में व्यय होगा। इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

क्रय किये जाने की प्रक्रिया – कंडिका 3 के (V) (ब) में केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा (VI) संबंधित विभागाध्यक्ष के साथ विभाग प्रमुख/ विशेष आमंत्रित सदस्य/विषय विशेषज्ञ को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

विभागीय क्रय समिति को अध्ययन अध्यापन अनुसंधान में राशि रू. 25,000/– तक की वस्तुएँ क्रय करने की अनुशंसा करने का अधिकार प्रस्तावित है तथा केन्द्रीय क्रय समिति को 25,000/– से अधिक के मूल्य की वस्तुओं को क्रय करने की अनुशंसा किये जाने का अधिकार होगा। यह प्रस्तावित है।

भुगतान की प्रक्रिया :– भाग (4) में भुगतान की प्रक्रिया की कंडिका (3) के पैरा 2 में यह जोड़ा जावे कि समस्त भुगतान के पूर्व वित्त अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक –26

विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालयीन आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 65 नग Desktop Computer ब्रांड (HCL Acer m200) क्रय हेतु एच.सी.एल. इम्फोसिस्टम लिमिटेड 806 सिद्धार्थ 96 नेहरू प्लेश नई दिल्ली जो कि निर्माता कम्पनी है को क्रय आदेश विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 635/भण्डार/2015–16 दिनांक 16.03.2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु अनाधिकृत फर्म साईबर नेट सिस्टम रायपुर जिसको विश्वविद्यालय से कोई क्रय आदेश नहीं दिया है फिर भी विश्वविद्यालय में प्रदाय किया गया है। भुगतान के समय उक्त गड़बड़ी संज्ञान में आने के तत्काल बाद फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रू. 26,27,625/– को रोक दिया गया था। जिस पर फर्म ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री एस.पी. तिवारी, श्री हीरालाल नायक एवं तत्कालीन कुलपति श्री दिलीप वासनिकर के विरूद्ध लोक आयोग रायपुर में प्रकरण क्रमांक 96/2017 प्रस्तुत किया गया। इसी बीच तत्कालीन कुलपति द्वारा उक्त 65 नग

कम्प्यूटर की आपूर्ती को नियमानुसार नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 4199/2017–18 दिनांक 06.07.2017 के द्वारा निरस्त कर 07 दिवस के भीतर आपूर्तिकर्ता साईबर नेट सिस्टम, रायपुर को कम्प्यूटर वापस ले जाने हेतु आदेशित किया गया किन्तु उक्त कम्प्यूटर अद्यतन विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के क्लास रूम में रखा हुआ है तथा इसी बीच लोक आयोग द्वारा तत्कालीन कुलसचिव श्री एस.पी. तिवारी एवं श्री हीरालाल नायक के विरूद्ध 17.05.2018 को आदेश पारित कर कमीशन नहीं दिये जाने के कारण भुगतान नहीं करने का आरोप लगाकर उन दोनो अधिकारियों के विरूद्ध शासन को कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा किया गया है किन्तु लोक आयोग ने कम्प्यूटर के देयक का भुगतान संबंधी कही पर जिक्र अपने आदेश में नहीं किया है। श्री संतोष सिंह साईबर नेट सिस्टम, रायपुर द्वारा लोक आयोग के निर्णय के पश्चात् दिनांक 10.07.2018 को पुनः देयक भुगतान हेतु कुलपति जी को ईमेल किया गया था जिस पर क्रय प्रक्रिया एवं आपूर्ति नियमानुसार नहीं होने के कारण एवं क्रय आदेश के निरस्तीकरण का उल्लेख कर अपने पत्र क्रमांक 2491/2018 दिनांक 12.07.2018 के द्वारा भुगतान नियमानुसार संभव नहीं होने संबंधी पर कुलपति जी द्वारा लिखा गया है तथा उन्हें अपना कम्प्यूटर विश्वविद्यालय में वापस ले जाने हेतु आदेशित किया गया है। चूंकि उक्त 65 नग कम्प्यूटर दिनांक 30.04.2016 से अद्यतन विश्वविद्यालय में रखा गया है। इस बीच तत्कालीन कुलसचिवों द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज कराया गया है किन्तु अद्यतन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चूंकि लोक परिसर में अनाधिकृत रूप से 65 नग कम्प्यूटर क्लास रूप में रखा है। जिससे छात्रों का अध्यापन प्रभावित हो रहा है। तथा इसकी सुरक्षा विश्वविद्यालय के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। अतः इस प्रकरण का निवारण हेतु लोक परिसर बेदखली नियम 1975 प्रावधानित है के अनुसार कार्यवाही हेतु राज्य शासन के द्वारा नियुक्त किये गये सक्षम प्राधिकारी सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से बस्तर विश्वविद्यालय लोक परिसर से उक्त कम्प्यूटर को रिक्त कराये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 27

शारीरिक शिक्षण शुल्क मद के बजट में कुल बजट 12.60 लाख में अन्तर परिवर्तित कर इंटर युनिवर्सिटी टूर्नामेंट मद में वृद्धि कर 6.00 लाख की जगह 10.00 लाख मान्य किया जावे।

मद निम्नानुसार होगा :–

क्र.	मद का नाम	पूर्व बजट	वर्तमान बजट
1.	इन्टर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट	6.00 लाख	10.00 लाख
2.	इन्टर कॉलेज टूर्नामेंट	1.00 लाख	निरंक
3.	स्टेशनरी	0.50 लाख	निरंक
4.	पोस्टेज	0.10 लाख	0.10 लाख
5.	अन्य आकस्मिक	2.00 लाख	0.50 लाख
6.	सबसीडी भुगतान	3.00 लाख	2.00 लाख
	कुल	12.60 लाख	12.60 लाख

उक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 28

राज्य शासन के पत्र क्रमांक 1219/2009/वित्त/ब–4/चार रायपुर दिनांक 01 सितम्बर 2009 एवं 11 अप्रैल 2014 के अनुसार शासकीय अधिकारियों को दूरभाष में ब्राडबेंड की सुविधा के साथ मोबाईल फोन की प्रतिपूर्ति की पात्रता दी गई है। तद्नुसार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी को मोबाईल प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 29

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा रूसा परियोजना मद के अन्तर्गत शासन द्वारा राशि रू. 14 करोड़ का प्रशासकीय स्वीकृति तीन भवन (एम.सी.ए., एम.बी.ए. एवं बी.एड अध्ययनशाला) के निर्माण कार्य के लिए दी गई है। जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.09.2018 को भूमिपूजन किया गया है तथा भूमिपूजन के बाद उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 30

अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 2867 /अका./ब.वि.वि./2018 जगदलपुर, दिनांक 25/10/2018

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के 22वीं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2018 को अपरान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. कोमल सिंह शार्वा, प्राचार्य भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	प्राचार्य – सदस्य
3.	श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	प्राचार्य – सदस्य
4.	डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा	संकायाध्यक्ष – सदस्य
5.	डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक शास. इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम	संकायाध्यक्ष – सदस्य
6.	डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय जगदलपुर	संकायाध्यक्ष – सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. मुखर्जी, अधिष्ठाता शहीद गुण्डाधूर कृषि महविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र कुम्हरावंड जगदलपुर	सदस्य
8.	डॉ. व्ही.के.पाठक, कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव

आमंत्रित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय कार्य–परिषद के पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :–

कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 21वीं कार्यपरिषद बैठक के कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक –2

दिनांक 13.09.2018 को आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 4 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव – अध्यादेश क्रमांक –05 Conduct of Examination (Remuneration For Exam Work) वर्तमान पारिश्रमिक दर दिनांक 06.01.2012 को विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 19 वीं बैठक में अनुमोदन किया गया था। इन छः वर्षों में प्रदेश के बाहर के अधिकांश विश्वविद्यालय में अकादमिक कार्य के पारिश्रमिक दर में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है। उनके औसत पारिश्रमिक को नवीन पारिश्रमिक दर के रूप में प्रस्तावित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव मान्य किया गया। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों में लागू किया जाये।

उक्त निर्णयानुसार नवीन पारिश्रमिक दर को यथावत लागू करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

समन्वय समिति के निर्णयानुसार नवीन पारिश्रमिक दर यथावत लागू किया गया।

विषय क्रमांक –3

बस्तर विश्वविद्यालय गठन के पूर्व भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर एवं शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में संचालित विधि पाठ्यक्रम पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध था तथा उक्त पाठ्यक्रम की मान्यता भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) से प्राप्त थी। वर्ष 2008 में बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में संचालित विधि पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधी कार्यवाही भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) से करने के निर्देश है। उक्त निर्देश के परिपालन में विधि पाठ्यक्रम के संबद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति से शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर का प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में किये गये अनुशंसा को मान्य करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –4

MICS भोपाल द्वारा सत्र 2017–18 में Pre & Post Examination Processing work (OMR/ online) पद्धति से परीक्षा फार्म वार्षिक, पूरक, सेमेस्टर, पूनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना के रिजल्ट प्रोसेसिंग ऑनलाईन नामांकन एवं परीक्षा संबंधी समस्त कार्य किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2018–19 में उक्त कार्य MICS भोपाल के द्वारा निर्धारित पुराने दर में कार्य करने हेतु सहमति पत्र दिनांक 27.09.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी से अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के संलग्न पत्र क्रमांक 2596/ब.वि.वि./2018–19 दिनांक 29.09.2018 के द्वारा MICS भोपाल को एक वर्ष के लिए कार्य के पूर्ण एवं सफल समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार देयक भुगतान करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –5

मुख्य परीक्षा 2017–18 में बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में नकल की प्रवृत्ति रोकने एवं परीक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया था। उड़नदस्ता टीम द्वारा 141 नकल प्रकरण दर्ज किये गये थे। जिसका निराकरण (UFM) समिति के द्वारा किया गया है। समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के संलग्न अधिसूचना क्रमांक 653 दिनांक 19.09.2018 के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –6

राज्य एन.एस.एस. अधिकारी व पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1230/उ.शि./एफ 20–1/2011/38–1 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा दिनांक 12.06.2018 को माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण के एजेण्डा क्रमांक 11 (2) में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों एवं शिविरों के निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा रासेयो के कार्यों हेतु वाहन उपलब्ध कराने तथा निजी वाहन के प्रयोग किये जाने पर ईधन(पेट्रोल/डीजल) व्यय विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें इस कार्य हेतु व्यय भार राष्ट्रीय सेवा योजना को गतिविधियों हेतु आबंटित राशि पर न हो। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –7

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 06.12.2017 को आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक का जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक 264/कार्य.सम./रा.से.यो./2018 जगदलपुर, दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु क्रमांक –09 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर प्रतिभागिता पर स्वयं सेवकों को टी शर्ट एवं टोपी विश्वविद्यालय फण्ड से खरीदने की सहमति दी गई है। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

आय–व्यय का पुनः परीक्षण कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक –8

कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. प्रकोष्ठ में वातानुकुलिन (AC) उपलबध्ध कराने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

विश्वविद्यालय अन्य विभाग के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त सुविधा एन.एस.एस. के समन्वयक को दी जावे।

विषय क्रमांक –9

रा.से.यो. प्रकोष्ठ हेतु कम्प्यूटर सिस्टम, इंटरनेट, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

रा.से.यो. के कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्य शासन द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है। यदि यह सुविधा राज्य शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के अन्य विभागों की तरह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक –10

पूर्व की तरह रा.से.यो. प्रकोष्ठ के कार्यालयीन कार्य हेतु नोटशीट, लिफाफा, फाईल–फोल्डर, पेड विश्वविद्यालय भण्डार शाखा से प्रदाय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

रा.से.यो. के कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्य शासन द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है। यदि यह सुविधा राज्य शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के अन्य विभागों की तरह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्रमांक –11

राशि व्यवस्था/उपलब्धता की स्थिति में रा.से.यो. की राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन माह–जनवरी 2019 में प्रस्तावित करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

यह कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जाती है तथा राज्य शासन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित होने पर उक्त कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

विषय क्रमांक –12

बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7वां वेतनमान) प्रदाय किये जाने के संबंध में।

(अ) संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 241/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 24.मई, 2017 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम, 2017 के अन्तर्गत नियमित वेतन का भुगतान माह जुलाई, 2017 का वेतन (अगस्त, 2017 को देय) प्रारंभ किया जावेगा।

(ब) अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 788/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 05.09.2018 के अनुसार राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.07.2018 से इसका आर्थिक लाभ दिये जाए। अर्थात् दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2018 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से देय होगा। दिनांक 01.07.2018 से पूर्व के एरियर्स के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा। विभाग राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच स्थानीय निधि सम्परीक्षा द्वारा छ. माह की अवधि में अनिवार्य रूप से करवाया जाना है। उक्त पत्र के कंडिका 03 के अनुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2451/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2018 जगदलपुर, दिनांक 18.09.2018 के द्वारा सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 1003/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 06.10.2018 के अनुसार राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून, 2018 की अवधि के बकाया स्वत्तों (वेतन एरियर्स) का 06 समान वार्षिक किश्तों में नगद भुगतान का निर्णय लिया गया है। प्रथम किश्त के रूप में माह जनवरी 2016 से मई 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान वर्ष 2018–19 में किया जाए। शेष किश्तों के भुगतान के संबंध में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाऐगा।

(द) अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2–1/18/38–1 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 26.09.2018 के अनुसार विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपति, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल तथा संचालक/सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा के लिए दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

उक्त शासन के आदेशानुसार वेतनमान एवं एरियर्स प्रदाय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

विश्वविद्यालय परिनियम 31 के अनुसार राज्य शासन द्वारा घोषित वेतनमान विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को देय है तद्नुसार राज्य शासन द्वारा घोषित 7वॉ पेय वेतनमान विश्वविद्यालय में लागू की जाती है तथा संबंधितों से वचन पत्र लेकर वेतनमान एवं एरियर्स की राशि प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विषय क्रमांक –13

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 10 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। जिसमें ऐसे आवेदक जो बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में दैनिक/मजदूरी में कार्यरत हैं। उन्हें अंतिम चयन सूची तैयार करते समय कार्य के अनुभव के लिए प्रति पूर्ण वर्ष हेतु 02 अंक, अधिकतम 08 अंक की अधिमान्यता (weightage) दिये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –14

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 358/एल 2018–71–00038/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 27.07.2018 के अनुसार वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 14 मई 2015 के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा भत्ता का चयन किया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –15

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2717/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2018 जगदलपुर, दिनांक 09.10.2018 के अनुसार छ.ग.मेडिकल सर्विसेस प्रा.लि. बस्तर संभाग, हाऊसिंग बोर्ड हाट कचौरा, जगदलपुर को कुलसचिव भवन की वाईटवास, कलरवास, डिस्टेम्परिंग एवं पेन्टिंग का कार्य पूर्व की दर पर करने हेतु सहमति चाही गई है। पूर्व की दर पर कार्य करने की सहमति प्राप्त होने की स्थिति में कार्य कराये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –16

बस्तर विश्वविद्यालय, परिसर में स्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आबंटित आवासीय भवनों के पोताई कराये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –17

दिनांक 13.09.2018 को आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 19 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों) में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया है। उक्त प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –18

दिनांक 13.09.2018 को आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक का कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 14 एवं 15 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपु के अध्यादेश क्रमांक 67 (Post Graduate Diploma in Computer Application One year-full Time) एवं अध्यादेश क्रमांक 150 (Master of Science information Technology) को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया है। उक्त प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –19

प्रायः देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये गये आवश्यक बैठकों (अध्ययन मंडल, विद्यापरिषद, कार्यपरिषद, भवन समिति, रिजल्ट कमेटी, क्रय समिति, तथा अन्य समितियों) एवं कार्यक्रमों (दीक्षांत समारोह,स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, सेमीनार, कार्यशाला एवं विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों) में उपस्थित सदस्यों/छात्र–छात्राओं को चाय नास्ता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु व्यय की जाती है। जिसमें नियमों के अभाव में आडिट आपत्ति की जा रही है। जो व्यवहारिक नहीं है बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध ऐसे महाविद्यालयों जो विश्वविद्यालय से लगभग 200 किलो.मीटर पर स्थित है तथा विश्वविद्यालय का अधिकांश कार्य अन्य विश्वविद्यालय के क्षेत्राअधिकार में पदस्थ प्राध्यापकों से कार्य सम्पादित होते है। जिसके लिए चाय,नास्ता,पानी एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाती है इसे दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक बैठकों एवं कार्यक्रमों में उपस्थित सदस्यों को चाय, नास्ता, पानी, स्वल्पाहार एवं अन्य आवश्यक व्यय विभागीय इम्प्रेस्ट तथा अग्रिम लेकर किये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –20

विश्वविद्यालय में विद्युत व्यय मितव्ययिता रखने हेतु क्रेडा, जगदलपुर के माध्यम से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन में सोलर सिस्टम यूनिट से लगाया जाना है। इस हेतु क्रेडा जगदलपुर से विश्वविद्यालय के द्वारा लागत का प्राक्कलन पत्र क्रमांक 2310/ब.वि.वि./2018, जगदलपुर, दिनांक 30.08.2018 के द्वारा आमंत्रित किया गया है, लागत पत्र अप्राप्त है। अतः कार्य की स्वीकृति/सूचना हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

लागत राशि प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक –21

परीक्षा/गोपनीय विभाग के मांग अनुसार विश्वविद्यालय के अनुपयोगी उत्तर पुस्तिकाओं तथ रद्दी अनुपयोगी कागजातों हेतु पेपर कटिंग मशीन GeM के माध्यम से Infres Methodex Private Ltd., Raipur से क्रय किया गया है। जिसकी लागत राशि रू. 1,17,585/– (एक लाख, सत्रह हजार, पांच सौ पच्यासी) मात्र है। सामग्री प्राप्त हो गई है, नियमानुसार क्रयोत्तर एवं भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से नियमानुसार क्रयोत्तर एवं भुगतान की करने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक –22

विश्वविद्यालय के एम.बी.ए. छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, समाजकार्य अध्ययनशाला एवं विभिन्न शाखाओं को आलमारी की आवश्यकता है। इस हेतु केन्द्रीय जेल, जगदलपुर को 10 नग स्टील आलमारी Size 78"x33"x19" का क्रयादेश क्रमांक 2731/भण्डार/ब.वि.वि./2018–19, जगदलपुर दिनांक 09.09.2018 प्रेषित किया गया है। सामग्री की कुल लागत राशि रू. 1,01,550/– (एक लाख, एक हजार, पांच सौ पचास) एवं पहुंचाने का भाड़ा राशि रू. 900/– (नौ सौ) मात्र का क्रयोत्तर एवं नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से नियमानुसार क्रयोत्तर एवं भुगतान की करने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक –23

विश्वविद्यालय के उपाधि प्रकोष्ठ के माध्यम से योग्य आवेदकों को उपाधि प्रदाय किया जाता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा निविदा के अन्तर्गत M/s. Offset Printing House, Satna (M.P.) का दर स्वीकृत किया गया था तथा विश्वविद्यालय एवं फर्म के मध्य दिनांक 11.04.2017 को अनुबंध 01 वर्ष के लिए किया गया था। अनुबंध की अवधि 01 वर्ष समाप्त हो गई है। उपाधि प्रारूप तथा उपाधि लिफाफों की पुनः आवश्यकता है। अनुबंध की कंडिका 13 के अनुसार उक्त कार्य अवधि आगामी वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। चूंकि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है तथा निविदा विज्ञापित नहीं किया जा सकता। अतः छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए निविदा अनुबंध 11.04.2018 से 10.04.2019 तक पुनः 01 वर्ष तक दोनो पक्षों की सहमति से बढाई जा सकती है। यह भी कि फर्म के द्वारा विश्वविद्यालय कोष में धरोहर राशि रू. 50000/– (पचास हजार) मात्र जमा किया जाना होगा।

उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

निविदा अनुबंध अनुसार 01 वर्ष के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –24

बस्तर विश्वविद्यालय का न्यूज लेटर तथा शोध पत्रिका मल्टी डिसिपलिनरी (Multi Disciplinary) का प्रकाशन अर्द्धवार्षिकीय किया जाना है। जिसके प्रिन्टिग कार्य हेतु अनुमानित व्यय न्यूज लेटर के लिए राशि रू. 25000 (अर्द्धवार्षिक) तथा शोध पत्रिका के लिए राशि रू. 50000/–(अर्द्धवार्षिक) व्यय करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –25

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत निर्मित विनियम क्रमांक 108 (वित्तीय विनियम) में आवश्यकतानुसार संशोधन करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण में प्रस्तावित प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

01. विनियम 108 के भाग एक के (तीन) में सम्बद्धता शीर्ष (शुल्क) हेतु अलग से शीर्ष (मद) में राशि जमा की जानी चाहिए वर्तमान में यह रकम परीक्षा मद में रखा जा रहा है। अतः पृथक मद रखा जाना प्रस्तावित है।

02. **वित्तीय अधिकार** – विनियम क्रमांक 108 के भाग (3) की कंडिका (1) के अनुसार वित्तीय अधिकार कुलसचिव को राशि रू. 10,000/– वित्तीय स्वीकृति एवं समायोजन का अधिकार है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संशोधन के अनुसार राशि रू. 10,000/– से बढ़ाकर राशि रू. 25,000/– प्रस्तावित है तद्नुसार बस्तर विश्वविद्यालय में भी राशि रू. 10,000/–से बढ़ाकर राशि रू. 25000/– तक स्वीकृति एवं समायोजन की स्वीकृति प्रस्तावित है।

1(a) साथ ही वित्त अधिकारी को राशि रू. 5,000/– तक की स्वीकृति एवं समायोजन का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है। यह व्यवस्था पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में है।

तथा भाग 3 का (1) परन्तु में इम्प्रेस्ट राशि में से व्यय के लिए विभागाध्यक्ष / संबंधित अधिकारी को राशि रू. 250/– तक अधिकार दिया गया है। वर्तमान स्थिति में एक समय में यह व्यय की सीमा 250/– से बढ़ाकर 1500/– तक किया जाना प्रस्तावित है। पं. रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय, रायपुर में वर्ष 2009 में यह रकम 250/– से बढकर 1000/– किया गया है।

भाग 3 का 2 में माननीय कुलपति को वर्तमान में राशि रू. एक लाख तक की वित्तीय स्वीकृति एवं समायोजन का अधिकार है यह स्वीकृति बढ़ाकर राशि रू. 25,001/– से 5,00,000/– तक की व्यय की स्वीकृति एवं समायोजन का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है।

108 भाग 4 क्रय एवं विक्रय नियम में क्रय की प्रक्रिया 3(a) एकल निविदा पद्धति :– ऐसी एकल वस्तु जिसमें प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जावे का क्रय एकल निविदा (भावपत्र) पद्धति या एक फर्म से निविदा प्राप्त कर क्रय किया जावेगा परन्तु ऐसी वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रू. 30,000/– (तीस हजार) से अधिक न हो। यह व्यवस्था पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने स्वीकार कर लिया है। तत्संबंधी प्रस्ताव जोडे जाने हेतु प्रस्तावित है।

कंडिका (4) (3) (2) – सीमित निविदा पद्धति – इसमें निम्न प्रस्ताव जोड़ा जा रहा है :–

साधारणतः ऐसे सभी आदेशों के मामले में जिसमें वार्षिक क्रय राशि 30,001/–(तीस हजार एक) से 1,50,000/– लाख तक हो इसमें निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जावे तो एक भारी रकम विज्ञापन में व्यय होगा। इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा।

क्रय किये जाने की प्रक्रिया – कंडिका 3 के (V) (ब) में केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा (VI) संबंधित विभागाध्यक्ष के साथ विभाग प्रमुख/ विशेष आमंत्रित सदस्य/विषय विशेषज्ञ को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

विभागीय क्रय समिति को अध्ययन अध्यापन अनुसंधान में राशि रू. 25,000/– तक की वस्तुएँ क्रय करने की अनुशंसा करने का अधिकार प्रस्तावित है तथा केन्द्रीय क्रय समिति को 25,000/– से अधिक के मूल्य की वस्तुओं को क्रय करने की अनुशंसा किये जाने का अधिकार होगा। यह प्रस्तावित है।

भुगतान की प्रक्रिया :– भाग (4) में भुगतान की प्रक्रिया की कंडिका (3) के पैरा 2 में यह जोड़ा जावे कि समस्त भुगतान के पूर्व वित्त अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालयीन आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 65 नग Desktop Computer ब्रांड (HCL Acer m200) क्रय हेतु एच.सी.एल. इम्फोसिस्टम लिमिटेड 806 सिद्धार्थ 96 नेहरू प्लेश नई दिल्ली जो कि निर्माता कम्पनी है को क्रय आदेश विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 635/भण्डार/2015–16 दिनांक 16.03.2016 के द्वारा दिया गया था किन्तु अनाधिकृत फर्म साईबर नेट सिस्टम रायपुर जिसको विश्वविद्यालय से कोई क्रय आदेश नहीं दिया है फिर भी विश्वविद्यालय में प्रदाय किया गया है। भुगतान के समय उक्त गड़बड़ी संज्ञान में आने के तत्काल बाद फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रू. 26,27,625/– को रोक दिया गया था। जिस पर फर्म ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री एस.पी. तिवारी, श्री हीरालाल नायक एवं तत्कालीन कुलपति श्री दिलीप वासनिकर के विरूद्ध लोक आयोग रायपुर में प्रकरण क्रमांक 96/2017 प्रस्तुत किया गया। इसी बीच तत्कालीन कुलपति द्वारा उक्त 65 नग कम्प्यूटर की आपूर्ती को नियमानुसार नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 4199/2017–18 दिनांक 06.07.2017 के द्वारा निरस्त कर 07 दिवस के भीतर आपूर्तिकर्ता साईबर नेट सिस्टम, रायपुर को कम्प्यूटर वापस ले जाने हेतु आदेशित किया गया किन्तु उक्त कम्प्यूटर अद्यतन विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के क्लास रूम में रखा हुआ है तथा इसी बीच लोक आयोग द्वारा तत्कालीन कुलसचिव श्री एस.पी. तिवारी एवं श्री हीरालाल नायक के विरूद्ध 17.05.2018 को आदेश पारित कर कमीशन नहीं दिये जाने के कारण भुगतान नहीं करने का आरोप लगाकर उन दोनो अधिकारियों के विरूद्ध शासन को कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा किया गया है किन्तु लोक आयोग ने कम्प्यूटर के देयक का भुगतान संबंधी कही पर जिक्र अपने आदेश में नहीं किया है। श्री संतोष सिंह साईबर नेट सिस्टम, रायपुर द्वारा लोक आयोग के निर्णय के पश्चात् दिनांक 10.07.2018 को पुनः देयक भुगतान हेतु कुलपति जी को ईमेल किया गया था जिस पर क्रय प्रक्रिया एवं आपूर्ति नियमानुसार नहीं होने के कारण एवं क्रय आदेश के निरस्तीकरण का उल्लेख कर अपने पत्र क्रमांक 2491/2018 दिनांक 12.07.2018 के द्वारा भुगतान नियमानुसार संभव नहीं होने संबंधी पर कुलपति जी द्वारा लिखा गया है तथा उन्हें अपना कम्प्यूटर विश्वविद्यालय में वापस ले जाने हेतु आदेशित किया गया है। चूंकि उक्त 65 नग कम्प्यूटर दिनांक 30.04.2016 से अद्यतन विश्वविद्यालय में रखा गया है। इस बीच तत्कालीन कुलसचिवों द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज कराया गया है किन्तु अद्यतन इस पर कोई कार्यवाही नहीं

हुई है। चूंकि लोक परिसर में अनाधिकृत रूप से 65 नग कम्प्यूटर क्लास रूप में रखा है। जिससे छात्रों का अध्यापन प्रभावित हो रहा है। तथा इसकी सुरक्षा विश्वविद्यालय के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। अतः इस प्रकरण का निवारण हेतु लोक परिसर बेदखली नियम 1975 प्रावधानित है के अनुसार कार्यवाही हेतु राज्य शासन के द्वारा नियुक्त किये गये सक्षम प्राधिकारी सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से बस्तर विश्वविद्यालय लोक परिसर से उक्त कम्प्यूटर को रिक्त कराये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त कक्ष में कम्प्यूटर रखा गया है जिससे छात्रों का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है, कमरे का किराया लोक निर्माण विभाग से पैनल रेंट के साथ तय कराकर संबंधित फर्म से ब्याज सहित किराया वसूल करने के लिए नोटिस जारी किया जावे।

विषय क्रमांक – 27

शारीरिक शिक्षण शुल्क मद के बजट में कुल बजट 12.60 लाख में अन्तर परिवर्तित कर इंटर युनिवर्सिटी टूर्नामेंट मद में वृद्धि कर 6.00 लाख की जगह 10.00 लाख मान्य किया जावे।

मद निम्नानुसार होगा :–

क्र.	मद का नाम	पूर्व बजट	वर्तमान बजट
1.	इन्टर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट	6.00 लाख	10.00 लाख
2.	इन्टर कॉलेज टूर्नामेंट	1.00 लाख	निरंक
3.	स्टेशनरी	0.50 लाख	निरंक
4.	पोस्टेज	0.10 लाख	0.10 लाख
5.	अन्य आकस्मिक	2.00 लाख	1.00 लाख
6.	सबसीडी भुगतान	3.00 लाख	1.50 लाख
	कुल	**12.60 लाख**	**12.60 लाख**

उक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक – 28

राज्य शासन के पत्र क्रमांक 1219/2009/वित्त/ब–4/चार रायपुर दिनांक 01 सितम्बर 2009 एवं 11 अप्रैल 2014 के अनुसार शासकीय अधिकारियों को दूरभाष में ब्राडबेंड की सुविधा के साथ मोबाईल फोन की प्रतिपूर्ति की पात्रता दी गई है। तद्नुसार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी को मोबाईल प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक – 29

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा रूसा परियोजना मद के अन्तर्गत शासन द्वारा राशि रू. 14 करोड़ का प्रशासकीय स्वीकृति तीन भवन (एम.सी.ए., एम.बी.ए. एवं बी.एड अध्ययनशाला) के निर्माण कार्य के लिए दी गई है। जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.09.2018 को भूमिपूजन किया गया है तथा भूमिपूजन के बाद उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 30

अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

कुलपति
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)